



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2084]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 6, 2010/आश्विन 14, 1932

No. 2084]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 6, 2010/ASVINA 14, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2010

का.आ. 2444(अ).—यतः, मै. एस्सार एसईजेड हजीरा लिमिटेड, जो गुजरात राज्य में एक निजी संगठन है, ने गुजरात राज्य में ग्राम हजीरा, तालुका चोरयासी में इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 28 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का. आ. 1628(अ) में 247.5222 हेक्टेयर क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया था और दिनांक 22 अप्रैल, 2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 937(अ) में 40.1538 हेक्टेयर एवं 28.8410 हेक्टेयर के क्षेत्रों को अनधिसूचित किया जिसके परिणामतः कुल क्षेत्र 178.5874 हेक्टेयर रह गया था;

और, यतः, मै. एस्सार एसईजेड हजीरा लिमिटेड ने सम्पूर्ण 178.5874 हेक्टेयर के शेष क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर विचार करके उसे दिनांक 15 जुलाई, 2010 को अनुमोदित कर दिया है और अपनी सहमति से अवगत करा दिया है;

अतः, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा उपरोक्त अधिसूचना को निरस्त करती है। सिवाय उन चीजों के जो ऐसे निरसन के पूर्व कारित की गई हैं या कारित किए जाने से निवारित की गई है।

[फा. सं. एफ. 2/12/2006-ईपीजेड]

टी. श्रीनिधि, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2010

**S.O. 2444(E).**—Whereas, M/s. Essar SEZ Hazira Limited, a private organisation in the State of Gujarat, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for engineering products at Village Hazira, Taluka Choryasi in the State of Gujarat;

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules, 2006, had notified an area of 247.5222 hectares vide the Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 1628(E) dated 28th September, 2006 and had denotified areas of 40.1538 hectares and 28.8410 hectares to make resultant area as 178.5874 hectares vide Notification Number S.O. 937(E) dated 22nd April, 2010;

And whereas, M/s. Essar SEZ Hazira Limited has proposed to denotify the entire remaining area of 178.5874 hectares of the above Special Economic Zone and the Central Government has granted letter of approval for denotification of above area on 15th July, 2009;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the

Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F. 2/12/2006-EPZ]

T. SRINIDHI, Jt. Secy.